

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक: प.2(6483)/निचिस्वा/विधि/2017/640

दिनांक:- 24/11/2017

संशोधन आदेश

एस0बी0सि0रि0पि0 संख्या 17805/2017 दीलिप कुमार गौतम व अन्य बनाम सरकार व अन्य प्रकरण में निदेशालय के पत्र क्रमांक प. 2(6483)/निचिस्वा/विधि/2017/558 दिनांक 23.10.2017 के द्वारा प्रकरण में पैरवी करने हेतु श्री संजय कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को नियुक्त किया गया था, के स्थान पर श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.2(6483)/निचिस्वा/विधि/2017/640

दिनांक:- 24/11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (विधि), राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को पैरवी हेतु की गई नियुक्ति का अनुमोदन कराने का श्रम करें।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बूंदी।
6. केस प्रभारी अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0) बूंदी को प्रेषित कर लेख है कि आप अविलम्ब श्री श्याम आर्य अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से संपर्क कर प्रकरण की पत्रावली सुपुर्द कर प्रकरण में पैरवी करावे एवं प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र दायर करवाकर माननीय न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय अंतरिम आदेश दिनांक 13.10.2017 को अपास्त करवाकर, अवमानना याचिका 1757/2017 दीलिप कुमार गौतम व अन्य में जवाब प्रस्तुत करावे साथ इस याचिका में भी जवाब प्रस्तुत करावे एवं प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराने का श्रम करावे।
7. डॉ0 घनश्याम बैरवा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) एवं स्टेन्डिंग केस प्रभारी अधिकारी मुख्यालय (राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर)।
8. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
9. श्री संजय कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- कोटा तथा संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
11. सूचना सहायक, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वांछित सूचना अविलम्ब लाईट्स/सूची में दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर